हर इंसान-एक समान   एक राष्ट्र-एक जान   मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in   Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 094144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र मेघसर
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के.झामड़
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर. ए. एस.)
मो. 9414085447

कोटा
दिलीप कुमार शुक्ला
मो. 9414063236

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
(कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष - क्षत्रिय महासभा)
मो. 9571875488

जे. एस. राजावत
संरक्षक समता ज्योति (पाक्षिक-पत्र)
मो. 9314962106

क्रमांक 38689   दिनांक : 12.10.2017

श्री मान चेयरमैन साहेब
आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग,
जयपुर ।

विषयः— आरक्षण पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति आधारित "जिन्दा शहीद योजना" लागू करने बाबत।

महोदय,

1. राजकीय सेवाओं से अनारक्षित वर्ग का सफाया :— उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूरे देश में और विशेषकर राजस्थान प्रदेश में जाति आधारित आरक्षण पीड़ितों की संख्या लगातार बढती जा रही है। वोटों की राजनीति और जातिगत राजनीति के दवाब में राज्य अथवा केन्द्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों और न्यायपालिका के निर्णयों की पालना करने में अक्षम हो रही हैं। राजस्थान राज्य में राजकीय सेवाओं में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व 90 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है, अनारक्षित वर्ग का सफाया होता जा रहा है। जातिगत असन्तुलन, वैमनस्य, कटुता, उग्रता व संघर्ष दिनोदिन प्रदेश को जातिगत गृहयुद्ध की ओर धकेल रहा है।

2. निरपराध युवाओं के साथ अन्याय :— अनारक्षित वर्ग के युवा समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस अपराध की सजा दी जा रही है ? उन्हें संविधान प्रदत मूल अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है ? संविधान में जाति आधारित भेदभाव की स्पष्ट मनाही है तो उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? किसी पिछड़े या दलित या आदिवासी या विकलांग या महिला के उत्थान के नाम पर उनका पतन क्यों किया जा रहा है ? उनके अस्तित्व और विकास को क्यों नकारा जा रहा है ? देश के सभी नागरिक एक समान है तो कुछ नागरिकों को विशेष सुविधाएँ और अधिकार देकर अन्य नागरिकों की सामान्य सुविधायें और विधिक अधिकार क्यों छीने जा रहे है ? किसी एक व्यक्ति के उत्थान का पूरा जिम्मा किसी अन्य एकमात्र व्यक्ति पर क्यों डाला जा रहा है ? इस अनारक्षित राष्ट्रवादी का अपराध क्या है ? इन प्रश्नों का जवाब मांगने के लिए समता आन्दोलन द्वारा देश के सभी सांसदों को पत्र कमांक 36573—37365 दिनांक 27—09—2016 जरिये ज्ञापन भेजा गया, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है। इस ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

3. संवैधानिक प्रावधानः— कृपया संवैधानिक प्रावधानों का अवलोकन करें जिनमें किसी भी नागरिक से किसी भी तरह का भेदभाव करने की स्पष्ट मनाही है। कोई भी नागरिक कोई भी शिक्षा ले सकता है, कोई भी नौकरी या व्यवसाय कर सकता है, उसे सम्पूर्ण रूप से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी जिसके अधीन वो स्वयं के जीविकोपार्जन के लिए तथा शिक्षा के माध्यम से उत्कृष्टतम स्तर तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र होगा:—

(a) भारतीय सर्वधान का अनुच्छेद 14 भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का मूल अधिकार देता है। लेकिन आरक्षण के कारण देश के लाखों राष्ट्रवादी युवाओं को जनहित के नाम पर इस मूल अधिकार से बार—बार वंचित किया जा रहा है और उन्हें कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जा रही है।

(लगातार—— 2)

(b) इसी प्रकार अनुच्छेद 15(1) में राज्य को स्पष्ट निर्देश है कि वह किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अनारक्षित वर्ग के राष्ट्रवादी नागरिक युवओं को शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण के नाम पर अनेक पदों पर चयनित हो जाने के बाद भी केवल जाति, लिंग, मूलवंश या जन्मस्थान के आधार पर उन चयनित पदों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जा रही है।

(c) इसी प्रकार अनुच्छेद 16(1) के अधीन राज्य के किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16(2) के अधीन राज्य को नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक को अपात्र मानने या उससे भेदभाव करने की स्पष्ट मनाही की गयी है। लेकिन आरक्षण के नाम पर अनारक्षित वर्ग के राष्ट्रवादी युवाओं को अवसर की समानता से वंचित किया जा रहा है केवल जाति, लिंग, मूलवंश, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, अनेक पदों पर चयन हो जाने के बाद भी बिना किसी अपराध के चयनित पदों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है।

(d) अनुच्छेद 19(1)(जी) में सभी नागरिकों को कोई भी वृति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का मूल अधिकार दिया गया है। लेकिन आरक्षण के नाम पर लाखों राष्ट्रवादी नागरिकों को चयन हो जाने पर भी उनकी वृति या उपजीविका **(Proffession or Occupation)** से वंचित किया जा रहा है, व्यापार या कारोबार (खान आबंटन, गैस एजेन्सियॉ, पेट्रोल पम्प आदि) से वंचित किया जा रहा है और उन्हें कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जा रही है।

(e) अनुच्छेद 21 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है जिससे उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि अपनी रूचि के अनुसार शिक्षा पाने का तथा अपनी जीविकोपार्जन **(livelihood)** करने का अधिकार भी प्राण या देहिक स्वतंत्रता में पूरी तरह शामिल है। प्रकटतः इस मूल अधिकार से वंचित करने के लिए विधि द्वारा स्थापित युक्ति युक्त प्रक्रिया का निर्धारण अनिवार्य है। लेकिन आरक्षण के नाम पर लाखों राष्ट्रवादी युवाओं को उनकी रूचि की शिक्षा व आजीविका से बिना किसी विधि द्वारा स्थापित युक्तियुक्त प्रक्रिया के वंचित किया जा रहा है और उन्हें कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जा रही है।

(f) अनुच्छेद 31 के अधीन प्रदत सम्पत्ति का मूल अधिकार यद्यपि समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 ए के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया है फिर भी अनुच्छेद 31**(A)(a)** के प्रावधान तथा इसी अनुच्छेद के दूसरे परन्तुक में दिये प्रावधान संविधान की मूल अवधारणा को स्पष्टतः स्थापित करते हैं कि किसी सम्पदा के उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन की विधि तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उसमें बाजार मूल्य के बराबर क्षतिपूर्ति के प्रावधान नहीं हो। लेकिन आरक्षण के नाम पर राष्ट्रवादी नागरिकों के अनुच्छेद 14, 15(1), 16(1), 19(1)(जी) और 21 में प्रदत मूल अधिकारों का राज्य द्वारा अपहरण तथा अनारक्षित नागरिकों की बौद्धिक सम्पदा के द्वारा अर्जित शिक्षा व रोजगार में चयनित पदो के अधिकारों का अपहरण राज्य द्वारा बिना किसी क्षतिपूर्ति के किया जा रहा है जो सर्वथा असंवैधानिक एवं अविधिक होने के साथ–साथ अन्यायपूर्ण भी है।

(लगातार––– 3)

(g) सम्पत्ति का मूल अधिकार देने वाले अनुच्छेद 31 को विलोपिक करके इसे नया अनुच्छेद 300ए जोड़ते हुये संविधान प्रदत विधिक अधिकार बना दिया गया है और ये स्पष्ट प्रावधान किये गये है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति के प्राधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि किसी भी नागरिक को संविधान प्रदत मूल अधिकारों की सम्पत्ति के अधिकार से, उसकी बौद्धिक सम्पदा की सम्पत्ति के अधिकार से उसके शिक्षा व जीवकोपार्जन के अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून बनाकर युक्तियुक्त प्रावधान व प्रकिया के जरिये राज्य को प्राधिकृत नहीं किया जाता। पूरे भारतवर्ष में आज तक केन्द्र अथवा किसी राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है जो राज्य को किसी राष्ट्रवादी नागरिक द्वारा अपनी बौद्धिक सम्पदा एवं व्यक्तिगत परिश्रम द्वारा प्राप्त किये गये शैक्षणिक या रोजगार के पद को युक्तियुक्त प्रावधान व प्रकिया के जरिये छीनने या अपहृत करने का प्राधिकार देता हो। अतः किसी राष्ट्रवादी नागरिक द्वारा बौद्धिक सम्पदा एवं परिश्रम के बल पर प्राप्त किये गये शिक्षा या रोजगार के पद को बिना किसी कानून के द्वारा निर्धारित प्रकिया या बिना किसी क्षतिपूर्ति के छीनना प्रकटतः अनुच्छेद 300ए का भी उल्लंघन है।

(h) अनुच्छेद 39(ए) में संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी स्पष्टतः प्रावधान करते है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हो। लेकिन प्रकटतः इन निर्देशों के विरूद्ध जा कर अनारक्षित वर्ग के राष्ट्रवादी युवक–युवतियों को जीविका के समान एवं पर्याप्त साधनों से वंचित किया जा रहा है और कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जा रही है।

(i) अनुच्छेद 51(ए)(जे) के अधीन प्रत्येक नागरिक का यह संवैधानिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढते हुये प्रयत्न और उपलब्धियों की उंचाइयों को छू ले। लेकिन आरक्षण के नाम पर अनारक्षित वर्ग के राष्ट्रवादी नागरिकों को उनकी रूचि की शिक्षा एवं रोजगार से वंचित करके इस संवैधानिक कर्तव्य को निभाने में अविधिक बाधाएँ उत्पन्न की जा रही है।

(j) किसी राष्ट्रवादी नागरिक द्वारा अपनी बौद्धिक सम्पदा और वर्षों की मेहनत के बाद प्राप्त किये गये शैक्षणिक अथवा रोजगार के पद को प्राप्त करने का मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार एवं विधिक अधिकार को जनहित और आरक्षण के नाम पर बिना किसी क्षतिपूर्ति के छीन लेने का अधिकार भारतीय संविधान में किसी भी राज्य को कहीं भी नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान की मूल भावना एवं शब्दावली कहीं भी किसी नागरिक के साथ जाति के आधार पर अन्याय और भेदभाव की इजाजत नहीं देती हैं। संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक और आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के मूलभूत सिद्धान्त पूरी स्पष्टता से समाहित किये गये हैं। लेकिन आरक्षण के नाम पर अनारक्षित वर्ग के निरपराध युवाओं को उनके इच्छित शैक्षणिक व रोजगार के पदों से बिना किसी क्षतिपूर्ति के वंचित कर देना, किसी एक दलित या पिछड़े के उत्थान की पूरी 100 प्रतिशत जिम्मेवारी अनारक्षित वर्ग के किसी एकमात्र व्यक्ति पर डाल देना प्रत्येक दृष्टिकोण से सामाजिक और आर्थिक न्याय के विरूद्ध है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के सिद्धान्त को ध्वस्त करने वाला है तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को भारी नुकसान पहुँचाने वाला है।

उपरोक्तानुसार यह प्रकटतः प्रमाणित है कि अनारक्षित वर्ग के निरपराध राष्ट्रवादी नागरिकों के साथ आरक्षण के नाम पर कितने संवैधानिक, मूल एवं विधिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुये भेदभाव, अन्याय एवं अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जा रही है।

(लगातार—— 4)

(4) न्यायिक निर्णय– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में उपरोक्त पैरा (3) में दिये गये संवैधानिक प्रावधानों को उचित एवं न्यायसंगत ठहराते हुये इनके विरूद्ध पाये गये सरकारी आदेशों, नियमों एवं कानूनों को बार–बार निरस्त किया है। या पीड़ित पक्षकार को मुआवजा दिलवाया है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे है :–

(**a**) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation** AIR 1986 SC 180; (1985) 3 SCC 545 के प्रकरण में यह स्पष्ठतः अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 21 में प्रदत प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में जीविकोपार्जन का मूल अधिकार समाहित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 39(ए) एवं 41 में दिये गये नीति निर्देशक तत्वों की रोशनी में पर्याप्त जीविकोपार्जन के अधिकार को जीने के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्णय से संबंधित पैरा 32 एवं 33 यहाँ दिये जा रहे हैंः–

"Para 32.... The right to life includes the right to livelihood. The sweep of the right of life conferred by Article 21 is wide and far reaching. It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as, for example by imposition and execution of the death sentence, except according to procedure established by law. That is but one aspect of the right to life. An equally important facet of that right is the right to livelihood because, no person can live without the means of living, that is, the means of livelihood. If the right to livelihood is not treated as a part of the constitutional right to life, the easiest way of depriving a person of his right to life would be to deprive him of his means of livelihood to the point of abrogation. Such deprivation would not only denude the life of its effective content and meaningfulness but it would make life impossible to live. As yet, such deprivation would not have to be in accordance with the procedure established by law, if the right to livelihood is not regarded as a part of the right to life. That, which alone makes it possible to live, leave aside what makes life livable, must be deemed to be an integral component of the right to life. Deprive a person of his right to livelihood and you shall have deprived him of his life.

Para 33......In view of the fact that Arts. 39(a) and 41 require the State to secure to the citizens an adequate means of livelihood and the right to work, it would be sheer pedantry to exclude the right to livelihood from the content of the right to life. The State may not, by affirmative action, be compellable to provide adequate means of livelihood or work to the citizens. But, any person, who is deprived of his right to livelihood except according to just and fair procedure established by law, can challenge the deprivation as offending the right to life conferred by Art. 21.

(लगातार–– 5)

(**b**) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **Delhi Transport Corporation v. DTC Manzdoor congress** 1991 Supp (1) SCC 600; AIR 1991 SC 101 के प्रकरण में पुनः इस विधिक व्यवस्था को स्थापित किया है कि जीने का अधिकार जीविकोपार्जन के अधिकार को समाहित करता है। इसके बिना मूल अधिकार मजाक बन कर रह जायेंगे :–

Para 223….. The right to life includes right to livelihood. The right to livelihood therefore cannot hang on to the fancies of individuals in authority. The employment is not bounty from them nor can its survival be at their mercy. Income is the foundation of many fundamental rights and when work is the sole source of income, the right to work becomes as much fundamental. Fundamental rights can ill afford to be consigned to the limbo of undefined premises and uncertain applications. That will be a mockery of them."

(**c**) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने **Delhi Development Horticulture Employees' Union v. Delhi Administration** (1992) 4 SCC 99; AIR 1992 SC 789 के प्रकरण में पुनः निर्णय दिया है कि जीने का अधिकार जीविकोपार्जन एवं काम करने के अधिकार को समाहित करता है:–

"Para 13…..There is no doubt that broadly interpreted and as a necessary logical corollary, right to life would include right to livelihood and, therefore right to work. It is for this reason that this court in Olga Tellis v. Bombay Municipal Corpn, AIR 1986 SC 180, while considering the consequences of eviction of the pavement dwellers had pointed out that in that case the eviction not merely resulted in deprivation of shelter but also deprivation of livelihood inasmuch as the pavement dwellers were employed in the vicinity of their dwellings. The court had, therefore, emphasized that the problem of eviction of the pavement dwellers had to be viewed also in that context. This was, however, in the context of Article 21 which seeks to protect persons against the deprivation of their life except according to procedure established by law. This country has so far not found it feasible to incorporate the right to livelihood as a fundamental right in the Constitution. This is because the country has so far not attained the capacity to guarantee it, and not because it considers it any the less fundamental to life. Advisedly, therefore, it has been placed in the Chapter on Directive Principles Article 41 of which enjoins upon the State to make effective provision for securing the same "within the limits of its economic capacity and development". Thus even while giving the direction to the State to ensure the right to work, the Constitution makers thought it prudent not to do so without qualifying it."

(लगातार––– 6)

(d) अनुच्छेद 19(1)(जी) की व्याख्या करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Sodan Singh etc v. New Delhi Municipal Committee, 30.08.1989, 1989-AIR-1988; 1989-SCR(3) 1038** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि इस मूल अधिकार में अपनी रूचि का कोई काम जीविकोपार्जन के लिए किया जाना शामिल है, अर्थात कोई नौकरी करना भी शामिल है। कृपया पैरा (7)(**i**) का अवलोकन करें :–

Para (7)(1) – The guarantee under Article 19(1)(g) extends to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business. The object of using four analogous and overlapping words in Article 19(1)(g) is to make the guaranteed right as comprehensive as possible to include all the avenars and modes through which a man may earn his livelihood. In a nutshell the guarantee takes into its fold any activity carried on by a citizen of India to earn his living.

अपनी रूचि की नौकरी करने का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(जी) के अधीन मान्य होने से स्पष्ट है कि इस अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन केवल अनुच्छेद 19(6) के अधीन ही लगाये जा सकते हैं अर्थात उस पद विशेष के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, उम्र, प्रतियोगी परीक्षा आदि तो नियमानुसार निर्धारित की जा सकती है लेकिन इस मूल अधिकार से वंचित करने के लिए किसी पद पर चयनित पात्र व्यक्ति का पद बिना समुचित क्षतिपूर्ति दिये आरक्षण के अथवा जनहित के नाम पर किसी अन्य अपात्र व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है।

(e) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Mohini Jain, 1992-Vol-3- SCC-666; Unniktishnan V. State of Andhra Pradesh, 1993-Vol-I-SCC-645 आदि अनेक प्रकरणों में यह बार–बार अभिनिर्धारित किया है कि शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में दिये गये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल है। अतः प्रकटतः किसी अनारक्षित वर्ग के पात्र व्यक्ति द्वारा अपनी बौद्धिक सम्पदा एवं वर्षों की मेहनत के बाद किसी प्रतियोगी परीक्षा के जरिये प्राप्त किया गया शैक्षणिक पद आरक्षण के नाम पर बिना कोई क्षतिपूर्ति दिये किसी अन्य अपात्र व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है।

(f) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रदत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन पाये जाने पर अनेक प्रकरणों में मुआवजा दिलाने के सिद्धान्त को मान्यता दी है। कृपया 1983(4) SCC 141; 1985(4) SCC-677; 1987(1) SCC-395 एवं 2000(8) SCC-139 का अवलोकन करें।

(g) यद्यपि अनुच्छेद 31 में प्रदत सम्पत्ति के मूल अधिकार को विलोपित कर दिया गया है लेकिन नया जोड़ा गया अनुच्छेद 300ए वर्तमान में भी सम्पत्ति के अधिकार को संवैधानिक तौर पर विधिक अधिकार का दर्जा देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में, तथा विशेषकर State of W.B v. Subodh Gopal Bose AIR 1954 SC 92, Dwarkasdas Shrinivas v. Sholapur AIR 1954 SC 119 तथा DCM v. Rajasthan State Electricity Board, 1986 (2) SCC 431 में यह बार–बार स्पष्ट किया है कि संविधान प्रदत सम्पत्ति का अधिकार बहुत व्यापक है जिसे "any legal right which can be enforced through a court is a right in the nature of property" के अर्थ में समझा जाना चाहिये।

(लगातार––– 7)

आरक्षण के संदर्भ में उपरोक्त सम्पत्ति के अधिकार को समझने के लिए हमें देखना होगा कि अनारक्षित वर्ग का कोई युवा अपनी बौद्धिक सम्पदा और वर्षों के परिश्रम से जिस शैक्षणिक या रोजगार की सूची में चयनित होकर नाम दर्ज करवाता है, उसमें से यदि मेरिट में उससे कम अंक पाने वाले को शैक्षणिक पद या रोजगार दे दिया जाता है तो वह आसानी से न्यायालय में जाकर अपना वांछित शैक्षणिक या रोजगार का पद प्राप्त कर सकता है। यही उसका **actionable claim** उसकी सम्पत्ति है। लेकिन केवल मात्र आरक्षण प्रावधान के कारण उसकी यह सम्पत्ति छीनी जा रही है उसे उसके **actionable claim** से वंचित किया जा रहा है तथा कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। यह अन्याय अत्यधिक आपत्तिजनक होने के साथ–साथ उपरोक्त पैरा (3) में बताये गये संवैधानिक प्रावधानों के भी विरूद्ध है।

(h) प्राकतिक न्याय के विरूद्ध, अन्याय को बढावा देने वालाः– यह एक स्थापित कानून (Settled law) एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी एक वर्ग को न्याय दिलाने के लिए किसी अन्य वर्ग के साथ अन्याय करना अन्याय को बढावा देने के बराबर है। यह सर्वविदित तथ्य है कि अनारक्षित वर्ग में पात्र युवाओं द्वारा प्राप्त किये गये शैक्षणिक या रोजगार के पद बिना किसी क्षतिपूर्ति के उनसे छीनकर आरक्षित वर्ग के अपात्र युवाओं को सामाजिक न्याय के नाम पर दिये जाने से अनारक्षित वर्ग के पात्र युवाओं के साथ लगातार सामाजिक अन्याय किया जा रहा है। इस तरह सामाजिक अन्याय को बढाने से रोकने के लिए अनारक्षित वर्ग के वंचित किये गये युवओं को मुआवजा दिया जाना अनिवार्य है।

(5) आत्म हत्या को मजबूर अनारक्षित युवा :– उपरोक्तानुसार पैरा (3) एवं (4) में दिये गये संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से स्पष्ट है कि किस प्रकार आरक्षण एवं जनहित के नाम पर इस देश के राष्ट्रवादी नागरिकों के मूल अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों एवं विधिक अधिकारों का सरे आम हनन किया जा रहा है, उन्हें बिना किसी अपराध के अन्याय व अत्याचार सहने को बाध्य किया जा रहा है, उनके साथ अविधिक भेदभाव किया जा रहा है, उनकी योग्यता व परिश्रम का उपहास उड़ाया जा रहा है, उनको इच्छित शिक्षा लेने से रोका जा रहा है, उनको इच्छित नौकरियॉ करने से रोका जा रहा है, उन्हें जीविकोपार्जन से रोका जा रहा है, उन्हें आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक रूप से प्रताड़ित करके मरने को मजबूर किया जा रहा है। ऐसी अनेक खबरे लगातार जानकारी में आ रही है, इनमें से एक खबर लखनउ से प्रकाशित सरिता द्विवेदी द्वारा की गयी आत्महत्या की है, जिसकी प्रति यहॉ आपकी जानकारी के लिए संलग्न की जा रही है।

(6) आरक्षण का अत्याचार उदाहरणों से समझे :– बिना क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिये केवल आरक्षण या जनहित के नाम पर किसी राष्ट्रवादी नागरिक को उपरोक्त पैरा (4) में दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों सहित सैकड़ों अन्य निर्णयों का उल्लंघन करते हुये तथा पैरा (3) में दिये गये संवैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध जाकर उसके संवैधानिक और विधिक अधिकारों से वंचित करना, कितना अन्यायपूर्ण एवं विभेदकारी है, इसकी गम्भीरता निम्न उदाहरणों से कुछ हद तक समझी जा सकती हैः–

(a) राज्य द्वारा किसी **x** व्यक्ति को ये निर्देश दिया जाना कि उसके द्वारा कठोर परिश्रम के बल पर जो 80वीं मैरिट प्राप्त करके शिक्षक पद पर चयन करवाया गया है वह ये पद छोड़ कर जनहित में 180वीं रैंक पर आने वाले आरक्षित वर्ग के **y** व्यक्ति को दे देवे। स्वयं दोबारा तैयारी करके अगली भर्ती का इन्तजार करे। कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा भी नहीं दिया जायेगा। क्या किसी सभ्य देश का संविधान इस अन्याय की अनुमति दे सकता है ? लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा ही अन्याय हो रहा है।

(लगातार––– 8)

(b) एक राष्ट्रवादी **x** व्यक्ति ने अपनी जीवनभर की कमाई और मेहनत लगाकर अपने लिए एक मकान बनाया। वह ज्योंही उस मकान का कब्जा लेने जाता है, राज्य द्वारा जनहित और आरक्षण के नाम पर उसे निर्देश दिये जाते है कि इस मकान में आरक्षित वर्ग के **y** को रखा जायेगा। वह और मेहनत करके दूसरा मकान तैयार करे, तब तक वह और उसका परिवार सड़क पर या खुले मैदान में रहे। राज्य की तरफ से उसे कोई क्षतिपूर्ति या सहायता नहीं दी जावेगी। क्या किसी सभ्य देश का संविधान इस अन्याय की अनुमति दे सकता है ? लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा ही अन्याय हो रहा है।

(c) एक राष्ट्रवादी **x** नाम के युवक ने तीन वर्ष तक दिन–रात पढाई करके **PMT** की परीक्षा में 980वीं रैंक प्राप्त करके अजमेर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने की योग्यता हासिल की लेकिन काउन्सलिंग के समय उसे बताया गया कि 751 से 1000 रैंक पाने वाले अनारक्षित अभ्यर्थियों को कहीं कोई सरकारी कॉलेज में **MBBS** की सीट नहीं मिलेगी क्योंकि ये सीटें 1500 से 20000 तक की रैंक में आने वाले एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को दी जावेगी। रैंक नम्बर 751 से 1000 तक के पात्र अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थी या तो दोबारा **PMT** की तैयारी करें या **B.Sc, B.Com, B.A** आदि कर लेवें। उन्हें कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा नहीं दिया जावेगा। क्या किसी सभ्य देश का संविधान इस अन्याय की अनुमति दे सकता है ? लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा ही अन्याय हो रहा है।

(d) उपरोक्त पैरा 6(सी) में **MBBS** की सीट से वंचित किये गये **x** के पिता ने राज्य को पत्र लिखकर आक्रोश जताया कि मैं एक निष्ठावान शिक्षक, राष्ट्र निर्माण में दिनरात मेहनत करके स्कूली बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, मेरे वेतन में से प्रतिवर्ष 1.50 से 2.00 लाख तक आयकर भी देता हूँ। फिर भी मेरे बच्चे ने जो कड़ी मेहनत करके **MBBS** की सीट हासिल की है वह उससे छीनकर किसी आरक्षित वर्ग के बच्चे को दे दी गयी तथा मेरे बच्चे को कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है, क्या हमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है ? हमारा अपराध क्या है ? मुझे मेरे द्वारा भरवाया गया सारा आयकर वापस दिया जाये। राज्य से जवाब मिला कि आप द्वारा दिया गया आयकर वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि उस राशि से उस मंत्री/विधायक पुत्र आरक्षित वर्ग के बच्चे को निशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जा रही है जिसे आपके बच्चे की **MBBS** सीट दी गयी है। आप यदि अपने बच्चे को इसी वर्ष **MBBS** कराना चाहते है तो किसी निजी मेडीकल कॉलेज से करवा सकते है जिसकी फीस के 75 लाख से एक करोड़ रूपये लगेंगे, ये राशि आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते है। यदि ये खर्चा वहन नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चे को दोबार मेहनत करवाइये अथवा **B.Sc, B.Com, B.A** आदि करवा दीजियें। क्या किसी सभ्य देश का संविधान इस अन्याय की अनुमति दे सकता है ? लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा ही अन्याय हो रहा है।

उपरोक्त उदाहरण काल्पनिक नहीं है। यथार्थ है। लाखों करोड़ों राष्ट्रवादी नागरिक और युवा अब तक आहत और प्रताड़ित हो चुके है जिन्हें भारतवासी होने पर गर्व की जगह अपराध बोध हो रहा है। देश से पलायन करने को मजबूर हो रहे है।

(लगातार–– 9)

(7) <u>आरक्षण पीडितों के लिए क्षतिपूर्ति आधारित ''जिन्दा शहीद योजना'' शुरू की जावे</u> :– उपरोक्त पैरा (1) से (6) तक के तथ्यात्मक विवरण, संवैधानिक प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णयों का अवलोकन करने के बाद यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस देश को विखण्डन से बचाने के लिए तथा प्रत्येक राष्ट्रवादी नागरिक को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अविधिक, असंवैधानिक तथा अन्यायपूर्ण जातिगत आरक्षण व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाये। जब तक वोटों की राजनीति के चलते ये जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं किया जाता है तक तक ''आरक्षण पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति आधारित ''जिन्दा शहीद योजना'' शुरू की जावें।

आप कल्पना करके देखिये जिस युवक ने वर्षों की मेहनत के बाद एक शिक्षक या लिपिक की भर्ती में चयनित होकर पद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त की हो, उसे उस पद से वंचित करके पुनः बेरोजगार रहने के लिए, जीविकोपार्जन के बिना भूखे मरने के लिए अकारण मजबूर कर दिया गया हो, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ऐसे ही किसी बच्चे ने वर्षों की मेहनत के बाद **MBBS** की सीट हासिल करके अपनी हसरत पूरी की हो लेकिन उसे उस सीट से वंचित करके वह सीट किसी आरक्षित वर्ग के अपात्र व्यक्ति को दे दी गयी हो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। हर युवक उपरोक्त पैरा 5 में उल्लेखित सरिता द्विवेदी की तरह आत्महत्या नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे युवकों की उम्मीदे टूट जाती हैं। राष्ट्रप्रेम की भावना मर जाती है। देश, संविधान, राजनेताओं एवं व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना उठने लगती है। वे अपराधबोध से ग्रस्त हो जाते है। चारों तरफ से असहाय पाकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जीने की तमन्ना ही समाप्त हो जाती है। वे एक जिन्दा ल्हाश की तरह शेष जीवन जीने को मजबूर हो जाते है। अतः जातिगत आरक्षण के दुष्प्रभावों से देश को बचाने के लिए ये अत्यन्त आवश्यक है कि क्षतिपूर्ति आधारित ''जिन्दा शहीद योजना–रोजगार'' एवं ''जिन्दा शहीद योजना–शिक्षा'' तत्काल शुरू की जावें।

(A) ''<u>जिन्दा शहीद योजना–रोजगार</u>'' :– इस योजना के अधीन जातिगत आरक्षण चालू रखते हुये भी जातिगत आरक्षण के दुष्प्रभावों से देश को स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। आरक्षण पीड़ित युवाओं को आरक्षण के नुकसान से बचाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को आरक्षण देने का बोझ किसी अन्य एकमात्र व्यक्ति पर 100 प्रतिशत डालने की बजाय इस बोझ को देश की 125 करोड़ जनसंख्या पर वितरित किया जा सकता है। फर्जी तरीकों से आरक्षण का लाभ लेने वालों पर रोक लग सकती है। आरक्षण पीड़ित युवाओं के दर्द को लगभग समाप्त किया जा सकता है। इस योजना में निम्न प्रावधान किये जाने चाहियेः–

(**a**) सर्वप्रथम किसी भर्ती के आरक्षण प्रावधानों में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जैसा आरक्षण दिया जा रहा है, देते रहें।

(**b**) भर्ती के बाद अन्तिम वरीयता सूची या चयन सूची बिना किसी आरक्षण के जारी की जावें। इसे प्रथम सूची कहें।

(**c**) अगले चरण में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करते हुये चयन सूची जारी की जावे। इसे द्वितीय सूची कहें।

(**d**) अगले चरण में आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को शामिल करने के कारण बाहर हुये प्रथम सूची के अभ्यर्थियों की सूची जारी की जावें। इन्हें जिन्दा शहीद का नाम दिया जावे। इसे तृतीय सूची कहें।

(**e**) अगले चरण में किस अभ्यर्थी के स्थान पर कौन अभ्यर्थी चयनित हुआ है उन्हें आपस में संबंधित (**tagged**) दर्शाते हुये एक सूची जारी की जावे। इसे चतुर्थ सूची कहें।

(लगातार–– 10)

(f) अगले चरण में द्वितीय सूची के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जावें।

(g) अगले चरण में ये आदेश भी जारी किये जावें कि चतुर्थ सूची के अनुसार जो पात्र अभ्यर्थी आरक्षण के कारण बाहर हुये है उन्हें अर्थात जिन्दा शहीदों को जिस नियुक्ति प्राप्त आरक्षित वर्ग के व्यक्ति के साथ सम्बद्ध (**tagged**) किया गया है उसे क्षतिपूर्ति के रूप में उसी नियुक्त आरक्षित वर्ग के व्यक्ति के बराबर वेतन भत्ते मिलते रहेंगे।

(h) अगले चरण में जैसे–जैसे उस सेवा में कोई पद खाली होगा वैसे–वैसे चतुर्थ सूची में शामिल किये गये बाहर हुये अभ्यर्थियों को अर्थात जिन्दा शहीदों को नियुक्ति पत्र जारी होते रहेंगे।

(i) नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद पदग्रहण करने वाले चतुर्थ सूची के जिन्दा शहीद अभ्यर्थियों को उनकी मूल वरिष्ठता ही दी जावेगी।

(j) चतुर्थसूची के सभी जिन्दा शहीदों को नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद जो भी रिक्तियॉ हो उनके लिए आगे नियमानुसार विज्ञप्ति जारी की जावें तथा यही कम पुनः अपनाया जावे।

(k) कोई भी भर्ती विज्ञापन ऐसा नहीं हों जिसमें किसी भी वर्ग के व्यक्ति को आवेदन करने की मनाही हो। उपरोक्त प्रकिया को एक टेबल के रूप में बनाकर संलग्न किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकिया अपनाते हुये ''जिन्दा शहीद योजना–रोजगार'' लागू करने पर देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं कह पायेगा कि उसकी नौकरी आरक्षण के कारण छीन ली गयी है या उसके साथ भेदभाव हुआ है या अन्याय हुआ है। आरक्षण का बोझ भी किसी एक व्यक्ति पर 100 प्रतिशत नहीं आकर देश की 125 करोड़ जनसंख्या पर वितरित हो जायेगा।

(**B**) '' <u>जिन्दा शहीद योजना–शिक्षा</u>'' :– उपरोक्त पैरा (**A**) में बतायी गयी ''जिन्दा शहीद योजना–रोजगार'' की तरह ही शिक्षा के क्षेत्र की योजना है। इसमें मेघावी छात्रों को कुण्ठित होने से बचाने के लिए तथा आरक्षित वर्ग के छात्रों का पूरा बोझ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर व्यक्तिशः नहीं पड़े ऐसी व्यवस्था करने के लिए निम्न प्रकिया अपनायी जावें :–

(a) **MBBS, PG** अथवा **ITI** जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यकमों में जो आरक्षण दिया गया है वह यथावत रखा जावे, कोई बदलाव जरूरी नहीं है।

(b) प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के बाद बिना किसी आरक्षण प्रावधान के सही–सही मेरीट लिस्ट जारी की जावे जिसे प्रथम सूची कहा जावे।

(c) अगले चरण में प्रथम सूची के अनुसार काउण्सलिंग करके सभी को संबंधित विद्यालयों में उनकी रैंक व रूचि के अनुसार सीट आबंटित कर दी जावे।

(d) अगले चरण में आरक्षण के कारण शामिल हुये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रथम सूची में शामिल करते हुये संशोधित चयन सूची जारी की जावें। इसे द्वितीय सूची कहें।

(e) अगले चरण में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को शामिल करने के कारण प्रथम सूची से बाहर हुये अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची उन्हें पूर्व में आबंटित कॉलेज एवं सीट सहित जारी की जावे। ऐसे अभ्यर्थियों को ''जिन्दा शहीद'' कहा जावे। इस सूची को तृतीय सूची कहें।

(लगातार–––11)

(f) अगले चरण में द्वितीय सूची में शामिल किये गये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग करके उन्हें वांछित कॉलेजों की वे सीटे आबंटित की जावे जो जिन्दा शहीदों से खाली करवाई गई हो।

(g) राज्य द्वारा **MBBS, PG, ITI** आदि के प्रतिष्ठित राजकीय संस्थानों के समकक्ष भारतीय निजी और विदेशी संस्थानों की सूची पहले से जारी करके रखी जावे। तृतीय सूची में शामिल जिन्दा शहीदों को पुनः काउण्सलिंग करके **MBBS, PG, ITI** आदि के प्रतिष्ठित राजकीय संस्थानों के समकक्ष भारतीय और विदेशी संस्थानों में उन्हें सीट आबंटित की जावे। इस प्रकार से आबंटित सीटों पर कोर्स करने वाले जिन्दा शहीदों का सम्पूर्ण खर्चा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जावें ताकि आरक्षण का बोझ किसी मेधावी प्रतिभावान छात्र पर 100 प्रतिशत नहीं पड़कर देश के 125 करोड़ लोगों पर वितरित हो सके।

उपरोक्तानुसार "जिन्दा शहीद–शिक्षा" की योजना आरक्षण पीड़ितों के लिए लागू करने पर देश के राष्ट्रवादी नागरिकों और प्रतिभावान युवाओं के साथ न्याय हो सकेगा। आरक्षण का विरोध कम होगा, आरक्षण का बोझ पूरे देश पर वितरित हो सकेगा, किसी एक भी युवक या युवती को आरक्षण के कारण इच्छित पढाई के कोर्स को छोड़ने की नौबत नहीं आयेगी।

आशा है आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे उपरोक्त प्रस्तावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके अनारक्षित वर्ग के आरक्षण पीड़ित युवाओं को संविधान सम्मत तरीके से सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में क्षतिपूर्ति आधारित "जिन्दा शहीद योजना–रोजगार" एवं "जिन्दा शहीद योजना–शिक्षा" को शामिल कर अनुगृहित करेगा। सादर ।

भवदीय,

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष

संलग्न– 1. राष्ट्रपति / प्रधानमंत्री / सांसदों को ज्ञापन की प्रति
2. सरिता द्विवेदी की खबर की प्रति
3. जिन्दा शहीद योजना की तालिका

हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website:www.samtaandolan.in | Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन	माननीय श्री अशोक कुमार सिंह	माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)	संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 094144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
संभागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
मो. 9166494225

अजमेर
मो. 9414008416

बीकानेर
मो. 9414139621

भरतपुर
हंसराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
(पूर्व आर. ए. एस.)
मो. 9414085447

कोटा
दिलीप कुमार शुक्ला
मो. 9414063236

उदयपुर
मो. 9571875488

मो. 9314962106

क्रमांक 36573 | दिनांक : 27.09.2016

श्रीमान प्रणव मुखर्जी साहेब,
माननीय राष्ट्रपति महोदय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली ।

भारतीय नागरिक की गुहार–
मेरा अपराध क्या है ?

महोदय,

मैं स्वतंत्र भारत देश का एक राष्ट्रवादी नागरिक हूँ। मेरे परदादा और उनके पिता ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया, जेल गये, अंग्रेजी शासन की यातनाएँ सही। देश को आजाद करवाया। आज मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज बेहद लाचार, गरीब और आन्दोलित हूँ।

1. मेरा MBBS में चयन हुआ, लेकिन आरक्षण के कारण मेरी सीट छीन कर किसी अन्य को दे दी गयी। आप ये तो बतायें मेरा अपराध क्या है ?

2. मैंने सरकारी कॉलेज से B.Sc करने की सोची। मेरी सीट छीन कर किसी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी को दे दी गयी। आप ये तो बतायें मेरा अपराध क्या है ?

3. मैंने प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में B.A पास करके क्लर्क की नौकरी में चयन करवाया। मेरे क्लर्क की पोस्ट छीन कर किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को दे दी गयी। आप ये तो बतायें मेरा अपराध क्या है ?

4. मेरा आपसे सवाल है कि :-
   अ. किसी दलित या पिछड़े को ऊपर उठाना समाज का, राष्ट्र का कर्तव्य हो सकता है, लेकिन मेरा निजी कर्तव्य क्यों माना जा रहा है ? मुझे व्यक्तिगत नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है ? मेरी MBBS, B.Sc या क्लर्क की सीट क्यों छीनी गयी ?
   ब. संविधान के अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार देता है। क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ ? मेरे साथ सैकण्ड ग्रेड नागरिक जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?
   स. संविधान के अनुच्छेद 15(1) शिक्षा के मामले में जातिगत भेदभाव की मनाही करता है। फिर मेरी MBBS और B.Sc की हासिल की गयी सीटें जाति के आधार पर छीन कर किसी और विद्यार्थी को क्यो दी गयी ?
   द. संविधान के अनुच्छेद 16(1) नौकरियों के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर का मूल अधिकार देता है, और जाति के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है। फिर मेरी क्लर्क की नौकरी जाति के आधार पर छीन कर किसी और को क्यों दी गयी ?

(लगातार—— 2)

(2)

य. संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन जीने और हर क्षेत्र में प्रगति करने का मूल अधिकार प्रदान करता है, जिसमें मनपसंद अध्ययन करने तथा मनपसंद व्यवसाय/नौकरी करने का अधिकार भी शामिल है। फिर मुझे **MBBS** व **B.Sc** की पढ़ाई से क्यों रोका गया ? और क्लर्क की नौकरी क्यों छीनी गयी ?

आप मेरा अपराध तो बताइये। मुझे किस अपराध की सजा दी जा रही है ? क्या मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है ? क्या भारतीय संविधान मुझ पर लागू नहीं होता है ? क्या मेरे कोई मानवाधिकार नहीं है ? बिना किसी अपराध के मुझे बार-बार दण्डित करके, मेरे न्यायसंगत अधिकारों से वंचित करके क्या मुझे नक्सलवाद या आतंकवाद अपनाने को मजबूर नहीं किया जा रहा है ? क्या देश का संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था, राजव्यवस्था और राजनेता मुझ निरपराध राष्ट्रवादी न्यायप्रिय नागरिक को सुरक्षा व न्याय दिलवाने में अक्षम है ? आप मेरा अपराध तो बता दीजिये !

निवेदक
सामान्य वर्ग के करोड़ों आरक्षण पीड़ितों में से
एक राष्ट्रवादी नागरिक

SP GANDHINAGAR PO (302015)
ER[illegible]IN
Counter No:1,OP-Code:00010
To:PRANAB MUKHERJI,PRESIDENT
NEW, PIN:11000[illegible]
From:P N SHARMA , JPR
Wt:20grams,
Amt:40.00 ,28/0[illegible] 16:49
Taxes:Rs.5.00([illegible]w.indiapost

आरक्षण के चलते पुलिस में नहीं हो पाई भर्ती तो लगा ली फांसी

लखनऊ (ब्यूरो)। आरक्षण कोटे के चलते पुलिस में भर्ती हो पाने में नाकाम रही काकोरी के मलहा गांव की सरिता द्विवेदी (21) ने गुरुवार सुबह अपने बाग में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को बाग में ही स्थित कोठरी से नौ पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पुलिस भर्ती में नाकाम रहने के चलते खुदकुशी करने की बात लिखी है। यही नहीं, उसने अपनी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में उसने प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं।

सरिता द्विवेदी

नौ पन्ने के सुसाइड नोट में सरकार को बताया मौत का जिम्मेदार

मां एनसीसी की वर्दी मेरे साथ रख देना : माईसिटी 6

किसान गिरीश द्विवेदी की बेटी सरिता चौक के खुनखुनजी गर्ल्स कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। सिपाही भर्ती के फिजिकल में उसे 100 में 100 नंबर मिले थे। जनरल कैटेगरी में हाई रैंक के बावजूद वह सिपाही नहीं बन सकी थी।

सुसाइड नोट में लिखा

चार दिन बाद 188 से 288 कैसे हो गई रैंकिंग

मम्मी उनसे इतना जरूर पूछना कि जब मेरी मेरिट रिलीज हुई थी तब जनरल लड़कियों की अलग से कोई मेरिट नहीं बनी थी। लेकिन चार दिन बाद रैंकिंग 188 से 288 कैसे हो गई?

कहीं पढ़ाई, कहीं आरक्षण क्या करें जीकर

पापा मैंने हार नहीं मानी। हमें सामान्य जाति का होने का अभिशाप था। कहीं लंबाई, कहीं पढ़ाई, कहीं आरक्षण, क्या करें जीकर? इससे ज्यादा पढ़ाई या प्रोफेशनल कोर्स हम लोगों की क्षमता से बाहर है।

आरक्षण पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति आधारित "जिन्दा शहीद योजना–रोजगार" का प्रारूप

रिक्तियाँ	बिना आरक्षण के चयन प्रथम सूची मेरिट क्रमांक	आरक्षण सहित चयन सूची– द्वितीय सूची	आरक्षण से बाहर हुये जिन्दा शहीदों की सूची– तृतीय सूची	आरक्षित वर्ग के चयनित एवं जिन्दा शहीदों की सम्बद्धता (Tagged)सूची
1 RAS	1			
2 RAS	2			
3 RAS	3			
4 RAS	4			
5 RAS	5			
6 RAS	6			
7 RAS	7			
8 RAS	8			
9 RAS	9			
10 RAS	10	101 W	10	10 Tagged with 101 W
11 RAS	11	102 W	11	11 Tagged with 102 W
12 RAS	12	103 W	12	12 Tagged with 103 W
13 RAS	13	104 W	13	13 Tagged with 104 W
14 RAS	14	OBC 121	14	14 Tagged with 121 OBC
15 RAS	15	OBC 122	15	15 Tagged with 122 OBC
16 RAS	16	OBC 123	16	16 Tagged with 123 OBC
17 RAS	17	OBC 124	17	17 Tagged with 124 OBC
18 RAS	18	OBC 125	18	18 Tagged with 125 OBC
19 RAS	19	SC 201	19	19 Tagged with 201 SC
20 RAS	20	SC 202	20	20 Tagged with 202 SC
21 RAS	21	SC 203	21	21 Tagged with 203 SC
22 RAS	22	SC 204	22	22 Tagged with 204 SC
23 RAS	23	ST 251	23	23 Tagged with 251 ST
24 RAS	24	ST 252	24	24 Tagged with 252 ST
25 RAS	25	ST 253	25	25 Tagged with 253 ST
26 RPS	26			
27 RPS	27			
28 RPS	28			
29 RPS	29			
30 RPS	30			
31 RPS	31			
32 RPS	32			
33 RPS	33			
34 RPS	34			
35 RPS	35	105 W	35	35 Tagged with105 W
36 RPS	36	106 W	36	36 Tagged with 106 W
37 RPS	37	107 W	37	37 Tagged with 107 W
38 RPS	38	108 W	38	38 Tagged with 108 W
39 RPS	39	OBC 126	39	39 Tagged with 126 OBC
40 RPS	40	OBC 127	40	40 Tagged with 127 OBC
41 RPS	41	OBC 128	41	41 Tagged with 128 OBC
42 RPS	42	OBC 129	42	42 Tagged with 129 OBC
43 RPS	43	OBC 130	43	43 Tagged with 130 OBC
44 RPS	44	SC 205	44	44 Tagged with 205 SC
45 RPS	45	SC 206	45	45 Tagged with 206 SC
46 RPS	46	SC 207	46	46 Tagged with 207 SC
47 RPS	47	SC 208	47	47 Tagged with 208 SC
48 RPS	48	ST 254	48	48 Tagged with 254 ST
49 RPS	49	ST 255	49	49 Tagged with 255 ST
50 RPS	50	ST 256	50	50 Tagged with 256 ST

51 RAcS	51			
52 RAcS	52			
53 RAcS	53			
54 RAcS	54			
55 RAcS	55			
56 RAcS	56			
57 RAcS	57			
58 RAcS	58			
59 RAcS	59			
60 RAcS	60	109 W	60	60 Tagged with 109 W
61 RAcS	61	110 W	61	61 Tagged with 110 W
62 RAcS	62	111 W	62	62 Tagged with 111 W
63 RAcS	63	112 W	63	63 Tagged with 112 W
64 RAcS	64	OBC 131	64	64 Tagged with 131 OBC
65 RAcS	65	OBC 132	65	65 Tagged with 132 OBC
66 RAcS	66	OBC 133	66	66 Tagged with 133 OBC
67 RAcS	67	OBC 134	67	67 Tagged with 134 OBC
68 RAcS	68	OBC 135	68	68 Tagged with 135 OBC
69 RAcS	69	SC 209	69	69 Tagged with 209 SC
70 RAcS	70	SC 210	70	70 Tagged with 210 SC
71 RAcS	71	SC 211	71	71 Tagged with 211 SC
72 RAcS	72	SC 212	72	72 Tagged with 212 SC
73 RAcS	73	ST 257	73	73 Tagged with 257ST
74 RAcS	74	ST 258	74	74 Tagged with 258 ST
75 RAcS	75	ST 259	75	75 Tagged with 259 ST
76 RCTS	76			
77 RCTS	77			
78 RCTS	78			
79 RCTS	79			
80 RCTS	80			
81 RCTS	81			
82 RCTS	82			
83 RCTS	83			
84 RCTS	84			
85 RCTS	85	113 W	85	85 Tagged with 113 W
86 RCTS	86	114 W	86	86 Tagged with 114 W
87 RCTS	87	115 W	87	87 Tagged with 115 W
88 RCTS	88	116 W	88	88 Tagged with 116 W
89 RCTS	89	OBC 136	89	89 Tagged with 136 OBC
90 RCTS	90	OBC 137	90	90 Tagged with 137 OBC
91 RCTS	91	OBC 138	91	91 Tagged with 138 OBC
92 RCTS	92	OBC 139	92	92 Tagged with 139 OBC
93 RCTS	93	OBC 140	93	93 Tagged with 140 OBC
94 RCTS	94	SC 213	94	94 Tagged with 213 SC
95 RCTS	95	SC 214	95	95 Tagged with 214 SC
96 RCTS	96	SC 215	96	96 Tagged with 215 SC
97 RCTS	97	SC 216	97	97 Tagged with 216 SC
98 RCTS	98	ST 260	98	98 Tagged with 260 ST
99 RCTS	99	ST 261	99	99 Tagged with 261 ST
100 RCTS	100	ST 262	100	100 Tagged with 262 ST